[2020] 7 एस. सी. आर. 885

केरल राज्य विद्युत बोर्ड

आर. ई. पी. इसके सचिव और ए. एन. आर.

वी.

प्रिंसिपल सर सैयद संस्थान

तकनीकी अध्ययन और ओआरएस के लिए।

(2009 की सिविल अपील No.8350)

20 फरवरी, 2020

[दीपाक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

विद्युत अधिनियम, 2003 - धारा 62 (3)-शुल्क अधिसूचना का दायरा

अपीलार्थी द्वारा जारी किए गए-प्रत्यर्थियों-स्व-वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों (एस. एफ. ई. आई. एस.) को राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों से अलग किया गया था और उच्च श्रेणी के अधीन किया गया था।

प्रशुल्क की-चुनौती-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने प्रशुल्क आदेश को वैध पाया-डिवीजन बेंच द्वारा खारिज किए गए उपरोक्त आदेश-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः शुल्क अधिसूचना में राज्य द्वारा संचालित और राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों को कोई अनुचित प्राथमिकता नहीं दी गई थी

कोई त्रुटि नहीं

तुलनात्मक रूप से मामूली पृष्ठभूमि इन संस्थानों में जाती है-जबकि अभिव्यक्ति "उद्देश्य" के अर्थ का अर्थ यू / धारा 62 (3), शुल्क प्रश्न के निपटारे के उद्देश्य से, जो सेवा कर रहा है

" "और जिनके लिए ऐसा" "उद्देश्य" "पूरा किया जा रहा है, उन्हें करना होगा"

शुल्क निर्धारण अभ्यास के लिए उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की प्रकृति एकमात्र निर्धारक नहीं हो सकती है-यह तथ्य कि एस. एफ. ई. आई. एस. को कई वाणिज्यिक सेवा प्रदाताओं के साथ जोड़ा गया था जो पूरी तरह से शिक्षा से असंबंधित थे, एक बार जब यह पाया जाता है कि एस. एफ. ई. आई. के उद्देश्य को राज्य द्वारा संचालित और राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से अलग किया जा सकता है तो यह महत्वहीन हो जाता है-विवादित निर्णय सेट

जबकि एकल न्यायाधीश को बहाल किया जाता है-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत-भारत का संविधान Art.14।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत जब उल्लंघन नहीं किया जाता है-स्वयं

राज्य द्वारा संचालित और राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से अलग किए गए वित्तीय शैक्षिक संस्थानों (एस. एफ. ई. आई.) और केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा उच्च शुल्क के अधीन

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन पर चुनौती दी गई यह तर्क देते हुए कि शुल्क अधिसूचना में कोई कारण नहीं था-आयोजितः एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में आयोग की भूमिका या

न्यायालय का प्रभाव तभी सामने आएगा जब उसे किसी विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए बुलाया जाए-किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं उठाकर शुल्क प्रस्ताव पर कोई प्रतिबंध लगाने में विफल रहने के कारण, एस. एफ. ई. आई. के लिए कारणों के प्रकटीकरण की मांग करने के साथ-साथ इसके प्रकाशन की भी अनुमति नहीं होगी।

शुल्क दरें-इस प्रकार, शुल्क अधिसूचना के कारण से असंबद्ध होने को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए दोष नहीं दिया जा सकता है-बिजली अधिनियम, 2003।

विद्युत अधिनियम, 2003-शुल्क निर्धारण-स्व-वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों (एस. एफ. ई. आई.) को वाणिज्यिक सेवा प्रदाताओं के साथ जोड़ा गया और उच्च शुल्क के अधीन-चुनौती दी गई

आयोजित किया गयाः जबकि सामान्य धारणा में एक शैक्षणिक संस्थान हो सकता है

व्यावसायिक उद्यमों का संचालन करने वाली अन्य संस्थाओं के समान कार्य नहीं कर रहे हैं, एक शुल्क निर्धारण निकाय को ऐसी सामान्य धारणा के आधार पर आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है-ऐसे निकाय का कर्तव्य यह निर्धारित करना है कि एक संगठन किस दर का भुगतान करेगा, और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं को एक सामान्य दर के अधीन एक सामान्य छत्र के तहत एक साथ जोड़ा जा सकता है-उस संदर्भ में, इस प्रकृति के प्रयोग के लिए, "वाणिज्यिक" शीर्षक का निर्माण उन संस्थाओं को प्रतिबंधित करने के लिए नहीं किया जा सकता है जो अपनी गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर उस शीर्ष के तहत आ सकती हैं-शीर्षक का चयन शुल्क दरों को निर्धारित करने में सुविधा का एक अभ्यास है और जरूरी नहीं कि उस शीर्षक के तहत शामिल संस्थाओं को चुनने में नियंत्रण कारक हो।

शब्द और अभिव्यक्तियाँ-"उद्देश्य", "वाणिज्यिक"-2003 के अधिनियम-विद्युत अधिनियम, 2003 के संदर्भ में इसका अर्थ।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 की उप-धारा (3) में आयोग पर विधानमंडल का एक नकारात्मक अधिदेश है। शुल्क तय करते समय आयोग बिजली के किसी भी उपभोक्ता को अनुचित प्राथमिकता नहीं दे सकता है। आयोग, हालाँकि, किसी भी निर्दिष्ट अवधि के दौरान उपभोक्ता के भार कारक, बिजली कारक, वोल्टेज, बिजली की कुल खपत के अनुसार अंतर दर निर्धारित करने की शक्ति निहित है, जिस पर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। अन्य अनुमेय विभेदक कारक किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, केरल राज्य विद्युत बोर्ड आरईपी हैं।

इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. प्रिंसिपल सर सैयद संस्थान। तकनीकी अध्ययनों के लिए

आपूर्ति की प्रकृति और वह उद्देश्य जिसके लिए आपूर्ति की आवश्यकता है। [पैरा 7] [896-बी-डी]

2.1 हालांकि कारण के प्रकटीकरण की आवश्यकता इस प्रकृति के मामले में उत्पन्न हो सकती है यदि इसके बीच एक सूत्र है

उपभोक्ता और आयोग। जब तक कि निश्चित रूप से, वैधानिक प्रावधान अन्यथा निर्धारित नहीं करता है। एक बार जब डिवीजन बेंच ने पाया कि वेबसाइट में प्रकाशन पर्याप्त था, तो उत्तरदाताओं ने रिट याचिकाकर्ताओं (एस. एफ. ई. आई.) ने रिट कोर्ट या अपीलीय मंच में टैरिफ अधिसूचना को चुनौती देने के अपने अधिकार को नहीं खोया होगा। लेकिन किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं उठाकर शुल्क प्रस्ताव पर कोई प्रतिबंध लगाने में विफल रहने के कारण, उनके लिए इसके प्रकाशन के साथ-साथ कारणों का खुलासा करने की मांग करना खुला नहीं होगा।

शुल्क दरें। एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में आयोग की भूमिका या किसी न्यायालय की संलिप्तता तभी सामने आएगी जब उसे किसी विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए बुलाया जाए। आयोग के प्रस्ताव के आधार पर रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया गया था, जिसके लिए उसे किसी प्रकार का न्यायिक अभ्यास करने की आवश्यकता होती। ऐसी स्थिति में, शुल्क तय करने की कवायद केवल एक अर्ध-विधायी अधिनियम के रूप में की जानी चाहिए, जो आम तौर पर शुल्क तय करने की कवायद है। इस प्रकार बिना किसी कारण के विषय शुल्क अधिसूचना जारी करने के लिए दोष नहीं दिया जा सकता है

इस तरह के निर्धारण का कारण शुल्क को अंतिम रूप देने के चरण में उत्पन्न नहीं होगा। यदि इस तरह के शुल्क आदेशों को बाद में अपीलीय मंच या रिट कोर्ट के समक्ष चुनौती दी जाती है, तो आयोग को अपने फैसले का उसी तरह बचाव करना होगा जैसे प्रशासनिक या अर्ध। शुल्क निर्धारण पर विधायी निर्णय का बचाव किया जाता है। [पैरा 10,11] [897-जी-एच] [898-बी-एच] [2020] 7 एस. सी. आर.

2.2 एस. एफ. ई. आई. को सिनेमा स्टूडियो, होटल और रेस्तरां, निर्माण कार्य आदि जैसी संस्थाओं के साथ वर्गीकृत किया गया है और

एल. टी.-VII शुल्क वस्तुओं का शीर्षक "वाणिज्यिक" है। जबकि सामान्य धारणा में एक शैक्षणिक संस्थान व्यावसायिक उद्यम करने वाली अन्य संस्थाओं के समान कार्य नहीं कर रहा हो सकता है, इस तरह की सामान्य धारणा के आधार पर आगे बढ़ने के लिए एक शुल्क निर्धारण निकाय की आवश्यकता नहीं है। ऐसे निकाय का कर्तव्य यह निर्धारित करना है कि एक संगठन किस दर का भुगतान करेगा, और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं को एक साथ जोड़ा जा सकता है आम छतरी को एक सामान्य दर के अधीन किया जाना है। उस संदर्भ में, इस प्रकृति के प्रयोग के लिए, "वाणिज्यिक" शीर्षक का निर्माण उन संस्थाओं को प्रतिबंधित करने के लिए नहीं किया जा सकता है जो अपनी गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर उस शीर्ष के तहत आ सकती हैं, यानी कि ऐसी गतिविधियों में वाणिज्यिक विशेषताएँ हैं या नहीं। का चयन

उस शीर्षक के तहत शामिल। [पैरा 14] [900-एफ-एच] [901-ए] 2.3 अभिव्यक्ति "उद्देश्य" का अर्थ है, ऑक्सफोर्ड द्वारा प्रकाशित संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश, दसवें संस्करण के अनुसार।

यूनिवर्सिटी प्रेसः - " 1. वह कारण जिसके लिए कुछ किया जाता है या जिसके लिए कुछ मौजूद है। 2. संकल्प या दृढ़ संकल्प "। दिए गए संदर्भ में, संज्ञा "उद्देश्य" उपरोक्त शब्दकोश में दिए गए पहले अर्थ में फिट होगी। एस. एफ. ई. आई. को विशेष रूप से "वाणिज्यिक" शीर्षक के तहत शामिल किया गया है और यह ऐसा मामला नहीं है जहां उनके चरित्र का अनुमानित मूल्यांकन किया जा रहा है, उनकी गतिविधियों को सामान्य अर्थों में वाणिज्यिक माना जा रहा है। मुनाफाखोरी एकमात्र मानदंड नहीं है जिसके आधार पर शुल्क अधिकारियों ने संगठनों के दो समूहों को अलग किया। यदि शुल्क निर्धारण निकाय, इस मामले में, आयोग होने के नाते, संबंधित श्रेणियों के उद्देश्य को अलग कर सकता है, तो वे विभिन्न श्रेणियों के शैक्षणिक संस्थानों के लिए शुल्क की विभिन्न दरों को लागू करने के हकदार होंगे। [पारस 16-18] [901-E-F] [902 A-B] [902-D-E]

रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम अध्यक्ष, बिहार राज्य

विद्युत बोर्ड और अन्य। (1984) पूरक। एससीसी 161: [1984] एससीआर 59; एम. पी. विद्युत बोर्ड और अन्य। वी. शिव नारायण और अन्य। (2005) 7 एससीसी 283: [2005] 2 पूरक।

एस. सी. आर. 958-लागू नहीं होता।

केरल राज्य विद्युत बोर्ड रिप। इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. प्रिंसिपल सर सैयद संस्थान। तकनीकी अध्ययनों के लिए

2.4 यद्यपि आयोग ने तथ्यात्मक साक्ष्य के माध्यम से इन दो समूहों द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का प्रदर्शन नहीं किया है। संस्थान अलग-अलग हैं, यह आम जानकारी है, जिसके बारे में न्यायालय न्यायिक नोटिस ले रहा है, कि राज्य द्वारा संचालित और राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों की छात्र प्रोफ़ाइल एस. एफ. ई. आई. एस. से अलग है। तुलनात्मक रूप से मामूली पृष्ठभूमि के छात्र राज्य द्वारा संचालित या राज्य वित्त पोषित संस्थानों में जाते हैं। जबकि "उद्देश्य" अभिव्यक्ति का अर्थ 2003 के अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (3) के तहत लिया गया है, शुल्क प्रश्न को निपटाने के उद्देश्य से, जो "उद्देश्य" को पूरा कर रहा है और जिसके लिए ऐसा है।

" जो उद्देश्य पूरा किया जा रहा है, उसे ध्यान में रखना होगा। की प्रकृति उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा शुल्क निर्धारण अभ्यास के लिए एकमात्र निर्धारक नहीं हो सकती है। राज्य द्वारा संचालित और राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों को करदाताओं द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जो उपरोक्त श्रेणियों के बीच अंतर करने में भी एक महत्वपूर्ण कारक है।

2.5 स्व-वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों के वर्गीकरण के लिए उच्च शुल्क तय करने में अपीलार्थी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई। उन्हें वाणिज्यिक संस्थाओं के रूप में। शुल्क अधिसूचना में राज्य द्वारा संचालित और राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों को कोई अनुचित प्राथमिकता नहीं दी गई है। तथ्य यह है कि एस. एफ. ई. आई. को कई के साथ जोड़ा गया है।

वाणिज्यिक सेवा प्रदाता जो शिक्षा से पूरी तरह से असंबंधित हैं एक बार जब यह पाया जाता है कि एस. एफ. ई. आई. एस. के उद्देश्य को सरकार द्वारा संचालित और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से अलग किया जा सकता है तो यह महत्वहीन हो जाता है। [पैरा 20] [903-सी-ई]

पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक

आयोग (2010) 4 एससीसी 603: [2010] 3 एस. सी. आर. 609; गुजरात राज्य बनाम उपयोगिता उपयोगकर्ता कल्याण संघ

(2018) 6 एससीसी 221-प्रतिष्ठित।

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्र. वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। (2002) 8 एससीसी 481: [2002] 3 पूरक। एससीआर 587; सोशल एसजी ऑफ असीसी सिस्टर्स बनाम। के. एस. ई. बी. 1988 (1) के. एल. टी. 1727; श्री सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम। भारत संघ और अन्य। (1990) 3 एससीसी 223: [1990] 1 एससीआर 909; द सीमेंस इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वी. भारत संघ (1976) 2 एस. सी. सी. 981 [1976] पूरक।

एससीआर 489; एस. एन. मुखर्जी बनाम भारत संघ (1990) 4

एससीसी 594: [1990] 1 पूरक। एस. सी. आर. 44; क्रांति एसोसिएट्स

प्रा. लिमिटेड वी. एस. मसूद अहमद खान एसएलपी (सी) संख्या 12766

2008 का; पी. ए. इनामदार और अन्य। वी. महाराष्ट्र राज्य & ओआरएस। (2005) 6 एससीसी 537: [2005] 2 पूरक। एससीआर 603,

इस्लामी शिक्षा अकादमी और एक अन्य v. की स्थिति

कर्नाटक और ओआरएस। (2003) 6 एससीसी 697: [2003] 2 पूरक।

एस. सी. आर. 474; मॉडर्न स्कूल बनाम। भारत संघ (2004) 5 एस. सी. सी. 583-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2002] 3 पूरक। एससीआर 587

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[2010] 3 एससीआर 609

प्रतिष्ठित

पैरा 8

(2018) 6 एससीसी 221

पैरा 8

प्रतिष्ठित

[1990] 1 एससीआर 909

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[1976] पूरक। एससीआर 489

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[1990] 1 पूरक। एससीआर 44

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

[2005]] 2 पूरक। एससीआर 603

पैरा 12

संदर्भित किया गया है

[2003] 2 पूरक। एससीआर 474

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

(2004) 5 एस. सी. सी. 583

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

[1984] एससीआर 59

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 17

अप्रयोज्य रखा गया

[2005] 2 पूरक। एससीआर 958

पैरा 17

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 83

2009 से।

उच्च निगम के 17.08.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2009 के डब्ल्यू. ए. सं. 989 में एर्नाकुलम में केरल सरकार द्वारा।

के साथ

सिविल अपील सं। 8552-8573 , 8574-8592 , 8593-8605 200 में से

1027-1046 , 1048-1067 , 1068-1080 , 1009 , 1025-1026 , 1021-1023 , 100 1007 , 1010-1020 , 1085 , 1081-1082 , 1083 , 1084 , 1087 , 1086 , 1088 , 31 3091,3093 , 3095 , 3110 , 3102 , 3103 , 3109 , 3112 , 3104-3107 , 3100 , 31 3113,3097 , 3098-3099 , 3096 , 3092 , 3108 , 4533-4572 , 3996 , 3993 , 39 केरल राज्य विद्युत बोर्ड रिप।

इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. प्रिंसिपल सर सैयद संस्थान। तकनीकी अध्ययनों के लिए

चाको, शक्ति चंद जैसवाल, गीत आहूजा, सुश्री ओजस्वी शर्मा, वी. के. सिद्धार्थन, ई. एम. एस. अनम, पवन किशोर सिंह, सुश्री मधुष्मिता बोरा, सुश्री बिंदु नायर, वी. के. मोंगा, जोगी स्कारिया, रंजीत के. सी., रॉय अब्राहम, सुश्री रीना रॉय, सुश्री सीमा जैन, अखिल अब्राहम, हिमिंदर लाल, रागेंथ बसंत, राघव मेहरोत्रा, सुश्री महामाया चटर्जी, सुश्री लिज़ मैथ्यू, अश्विनी भारद्वाज, परमानंद पांडे, एम/एस। इक्विटी लेक्स एसोसिएट्स, ए. रघुनाथ, प्रकाश रंजन नायक, के. राजीव, रमेश बाबू एम. आर., चांडी ओमन, सुश्री स्वाति सेतिया, सी. के. सासी, प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, सुश्री विदुषी, अखिल अब्राहम रॉय (एम/एस के लिए। के. जे. जॉन एंड कंपनी), के. रमेश, कुमार गौरव, श्रीमती नीरज सिंह, सुश्री रितु बेनीवाल, बी. एन. दुबे, पी. दयाल, श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अनिरुद्ध बोस, जे।

1. केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग ("आयोग") द्वारा जारी शुल्क अधिसूचना के एक हिस्से की वैधता

सरकार द्वारा संचालित और सरकारी सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों से स्व-वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थान (एस. एफ. ई. आई.) और पहले वाले को शुल्क की उच्च श्रेणी के अधीन करना अपीलों के इस समूह में शामिल एकमात्र प्रश्न है। इस आशय की अधिसूचना आयोग द्वारा 26 नवंबर, 2007 को जारी की गई थी, जिसमें 2007 का आदेश No.TP 23 और टी. पी. 30 था। इस तरह के शुल्क 1 दिसंबर, 2007 से प्रभावी होने वाले थे। एस. एफ. ई. आई. को उस अधिसूचना में निम्न तनाव VII (ए) वाणिज्यिक शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया गया है। सरकार निजी को चलाती है या सहायता देती है शैक्षणिक संस्थानों को निम्न तनाव VI गैर-घरेलू शुल्क श्रेणी के तहत रखा गया है। आयोग अपीलों के इस समूह में हमारे सामने अपीलकर्ता है। इस तरह की शुल्क अधिसूचना केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (एम. वाई. टी. ढांचे के तहत बिजली के वितरण और खुदरा बिक्री के लिए शुल्क के निर्धारण के नियम और शर्तें) विनियम, 2006 के संदर्भ में प्रकाशित की गई थी।

2. विभिन्न एस. एफ. ई. आई. एस. द्वारा इस तरह के अलगाव की वैधता पर सवाल उठाते हुए कई रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिससे वास्तव में एक उच्च [2020] 7 एस. सी. आर. का निर्माण हुआ।

उनके लिए शुल्क व्यवस्था। केरल उच्च न्यायालय (प्रथम न्यायालय) के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सुनवाई के लिए कुल मिलाकर 52 रिट याचिकाएं ली गईं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने शुल्क आदेश को वैध पाया, इस मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के एक निर्णय पर भरोसा करते हुए

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्र. वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। 2002 (8) एस. सी. सी. 481 और सोशल एस. जी. ऑफ असीसी सिस्टर्स बनाम के मामले में केरल उच्च न्यायालय का एक पीठ निर्णय। केएसईबी 1988 (1) केएलटी 1727। प्रथम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ आयोग के पक्ष में निम्नलिखित तर्कों पर निर्णय दियाः

" लेकिन, मैं ध्यान देता हूं कि सरकारी आदेश के बारे में याचिकाकर्ताओं के लिए कोई दलील नहीं है। आदेश के आधार पर रिट याचिकाओं में कोई मामला नहीं है। इसके अलावा, उच्च माध्यमिक विद्यालय उच्च विद्यालय खंड तक के मानकों वाले विद्यालयों से जुड़े हैं, जहां जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा, जो तय किया गया है वह शिक्षकों और अन्य लोगों का न्यूनतम वेतन है। ऐसा प्रतीत होता है कि कम हो जाओ। महत्वपूर्ण है राजस्व बढ़ाने की क्षमता और इसके प्रभाव, न कि कोई विशेष स्व-वित्तपोषण।

शैक्षणिक संस्थान वास्तव में राजस्व बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि आम तौर पर एक स्व-वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थान कर सकता है। उठाओ "।

3. एस. एफ. ई. आई. द्वारा की गई अपील में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रथम न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया। डिवीजन बेंच ने पाया कि अंतर बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 62 (3) में निर्दिष्ट किसी भी आधार के लिए नहीं था। यही वह प्रावधान है जिसके तहत राज्य आयोग शुल्क निर्धारित कर सकता है। 2003 के अधिनियम की धारा 62 निर्दिष्ट करती हैः

" 62. शुल्क का निर्धारणः -(1) उपयुक्त आयोग इसके प्रावधानों के अनुसार शुल्क का निर्धारण करेगा।

के लिए कार्य करें -

(क) उत्पादन कंपनी द्वारा वितरण के लिए बिजली की आपूर्ति लाइसेंसधारीः

बशर्ते कि उपयुक्त आयोग, कमी की स्थिति में

बिजली की आपूर्ति, बिजली की बिक्री या खरीद के लिए शुल्क की न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय करना

बिजली की उचित कीमतें सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एक उत्पादन कंपनी और एक लाइसेंसधारी के बीच या लाइसेंसधारियों के बीच किया गया समझौता; ए. एल. ए. राज्य विद्युत बोर्ड आर. ई. पी.

इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. प्रिंसिपल सईद इंस्टिट्यूट। तकनीकी अध्ययनों के लिए [अनिरुद्धबोस, जे.]

((ग) बिजली का चक्र; (घ) बिजली की खुदरा बिक्रीः

बशर्ते कि उसी क्षेत्र में बिजली के वितरण के मामले में

दो या दो से अधिक वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा, उपयुक्त आयोग, वितरण लाइसेंसधारियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, तय कर सकता है।

बिजली की खुदरा बिक्री के लिए शुल्क की केवल अधिकतम सीमा।

(2) उपयुक्त आयोग एक लाइसेंसधारी या एक उत्पादन कंपनी से अलग-अलग विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता कर सकता है, जैसा कि उत्पादन, संचरण और वितरण के संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

शुल्क का निर्धारण।

(3) उपयुक्त आयोग, इस अधिनियम के तहत शुल्क का निर्धारण करते समय, बिजली के किसी भी उपभोक्ता को अनुचित प्राथमिकता नहीं दिखाएगा, लेकिन उपभोक्ता के भार के अनुसार अंतर कर सकता है।

कारक, बिजली कारक, वोल्टेज, किसी भी निर्दिष्ट अवधि के दौरान बिजली की कुल खपत या जिस समय आपूर्ति की आवश्यकता होती है या किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आपूर्ति की प्रकृति और जिस उद्देश्य के लिए आपूर्ति की आवश्यकता होती है।

(5) आयोग किसी अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन करने वाली कंपनी से ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करने की अपेक्षा कर सकता है जो शुल्क और शुल्कों से अपेक्षित राजस्व की गणना के लिए निर्दिष्ट की जा सकती हैं जिन्हें उसे वसूल करने की अनुमति है। (6) यदि कोई लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी इस धारा के तहत निर्धारित शुल्क से अधिक मूल्य या शुल्क वसूल करती है, तो अतिरिक्त राशि उस व्यक्ति द्वारा वसूल की जाएगी जिसने लाइसेंसधारी द्वारा किए गए किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बैंक दर के बराबर ब्याज के साथ ऐसी कीमत या शुल्क का भुगतान किया है।

4. डिवीजन बेंच द्वारा अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

" जब आपूर्ति किसी शैक्षणिक संस्थान को होती है, चाहे वह स्व-वित्तपोषण हो या सहायता प्राप्त या सरकारी उद्देश्य,

अलग नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा का अर्थ है ज्ञान प्रदान करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्राचीन काल में शिक्षा का संबंध कमाई से नहीं था। मुफ्त शिक्षा वह है जो धर्म में माना गया था। शिक्षा को परंपरा, संस्कृति के प्रति निष्ठा और समाज की सेवा के आदर्शों का स्रोत होना चाहिए। हम, सामग्री और साक्ष्य के अभाव में, केवल यह स्वीकार नहीं कर सकते कि शैक्षणिक संस्थान, हालांकि स्व-वित्तपोषित हैं, लाभ कमा रहे हैं या व्यवसाय के रूप में चल रहे हैं। इस सवाल पर भी कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि क्या स्व-वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए बिजली की खपत की जाती है। अस्पष्ट कथन कि इमारत वातानुकूलित है

यह निर्दिष्ट किए बिना कि कितने संस्थानों में वातानुकूलित इमारतें हैं या बिजली की अधिक खपत वाले उपकरण आदि ऐसे मामले नहीं हैं जिन पर विवरण के संदर्भ में विशिष्ट याचिकाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। हम दोहराव के जोखिम पर कह सकते हैं कि हम केवल स्व-वित्तपोषण के इलाज की औचित्य की जांच कर रहे हैं। अन्य संस्थानों के संदर्भ में शैक्षणिक संस्थान-सहायता प्राप्त/सरकारी-बिजली की खपत के दृष्टिकोण से, जैसा कि इस न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामों से पता चलता है और हमने उस प्रयास में उनके द्वारा अनुरोध किए गए कारकों पर विचार किया है और पाया है कि

अस्थिर होना "।

5. यह 17 अगस्त 2009 को दिया गया उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय है जो हमारे समक्ष अपील के अधीन है। प्रथम न्यायालय के समक्ष, तर्कहीन या मनमाने भेदभाव के अलावा, शुल्क निर्धारण पर कुछ अन्य आधारों पर भी हमला किया गया था। इन आधारों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन और स्वतः शुल्क तय करने के लिए आयोग की शक्ति की कमी शामिल थी। रिट याचिकाकर्ताओं ने शैक्षणिक संस्थानों, जिनमें से कई गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा संचालित थे, को अन्य संस्थाओं के साथ जोड़ने में तर्कसंगतता पर सवाल उठाया, जिनका उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से लाभ उन्मुख था। यह आग्रह किया गया कि एस. एफ. ई. आई. के लिए शुल्क को "वाणिज्यिक" शीर्ष के तहत नहीं लाया जा सकता है। डिवीजन बेंच ने वैधानिक अपील के रूप में वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के मुद्दे पर रिट याचिकाओं को खारिज करने के लिए आयोग की याचिका को खारिज कर दिया। हम अपील के तहत फैसले से पाते हैं कि शुल्क अधिसूचना को अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती दी गई है।

भारत के संविधान पर प्रतिवादियों-रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दबाव नहीं डाला गया था।

रिट याचिकाकर्ताओं ने डिवीजन बेंच के समक्ष शुल्क तय करने के लिए आयोग की स्वतः संज्ञान शक्ति की कमी के सवाल पर विषय अधिसूचना को चुनौती देने के लिए गंभीरता से दबाव नहीं डाला। डिवीजन बेंच के समक्ष जिस मुख्य बिंदु का आग्रह और तर्क दिया गया था, वह यह था कि क्या 2003 के अधिनियम की धारा 62 (3) के प्रावधानों के तहत, केरल राज्य विद्युत बोर्ड आर. ई. पी. में अंतर किया गया था।

इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. प्रिंसिपल सर सैयद संस्थान। तकनीकी अध्ययनों के लिए [अनिरुद्धबोस, जे.]

शुल्क निर्धारित करने के उद्देश्य से संस्थानों के अन्य समूह से एस. एफ. ई. आई. की संख्या कानूनी रूप से उचित थी या नहीं। डिवीजन बेंच ने इस मुद्दे का फैसला एस. एफ. ई. आई. एस. के पक्ष में किया। अपीलार्थी की ओर से यह तर्क कि

प्रत्यर्थियों (रिट याचिकाकर्ताओं) के पास 2003 के अधिनियम की धारा 111 के तहत अपील के रूप में वैकल्पिक उपाय था और यह दोहराया गया है कि केवल इसी कारण से, रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाना चाहिए था। इस तर्क को प्रथम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था और प्रथम न्यायालय और खंड पीठ दोनों ने योग्यता के आधार पर रिट याचिका में उठाए गए बिंदुओं को संबोधित किया है। वैकल्पिक उपचार के निर्वाह के आधार पर आपत्ति को पहली बार के न्यायालय और अपीलीय मंच द्वारा भी खारिज कर दिया गया है, हम इसके तहत अनुमति देने पर नहीं सोचते हैं।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 136, यह हमारी ओर से उचित होगा

रिट याचिकाओं की स्थिरता पर इस प्रश्न पर फिर से विचार करें और विवाद को केवल इस आधार पर सांविधिक प्राधिकरण के पास भेज दें। इन कार्यवाहियों में कोई गहरा तथ्यात्मक विवाद शामिल नहीं है। ये ऐसे मामले भी नहीं हैं जहां रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण माना जा सकता है, जैसे कि विशुद्ध रूप से निजी विवाद से जुड़े मामले में। इस परिप्रेक्ष्य में, इस स्तर पर इस तरह की आपत्ति का मनोरंजन करने से न्यायिक समय की बर्बादी होगी और किसी विशेष स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक परतें भी जुड़ेंगी। 6. हमारे समक्ष, 2009 की सिविल अपील संख्या 8350 के आधार पर प्रस्तुतियाँ की गई हैं, हालांकि प्रथम न्यायालय और प्रभाग दोनों

पीठ ने अपने-अपने सामान्य निर्णयों में सभी मामलों को निपटाया।

इस कार्यवाही में रिट याचिकाकर्ता तिरुवनंतपुरम में प्रिंसिपल सर सैयद इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल स्टडीज थे। जहाँ तक इन सभी अपीलों में शामिल मुद्दों का संबंध है, विशिष्ट तथ्यात्मक तत्व कम और महत्वहीन हैं। अलग-अलग मामलों के ऐसे विशिष्ट तत्वों का इन अपीलों के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम, तदनुसार, योग्यता के आधार पर अपीलों का समाधान करेंगे। आयोग की ओर से, हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादियों/रिट याचिकाकर्ताओं के पास आयोग के समक्ष आपत्ति उठाने का पर्याप्त अवसर था क्योंकि प्रस्तावित शुल्क उसकी वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था, लेकिन किसी भी एस. एफ. ई. आई. एस. ने उस स्तर पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। आयोग का यह भी निवेदन है कि दो श्रेणियों के शैक्षणिक संस्थानों के उद्देश्य को निम्नलिखित छह शीर्षों के तहत व्यापक रूप से विशिष्ट विशेषताओं से एकत्र किया जा सकता हैः

(i) अलग-अलग शुल्क संरचना

((ii) विभिन्न मजदूरी संरचना [2020] 7 एस. सी. आर.

((iii) कर्मचारी कल्याण के उपाय

((iv) सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त बड़े सामाजिक उद्देश्य

हासिल करने की कोशिश करें

(v) लाभ का उद्देश्य संस्थानों की पूर्व श्रेणी में मौजूद नहीं है।

(vi) संस्थानों की संबंधित श्रेणियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं।

7. अपील के तहत फैसले में जो संबोधित किया गया है वह सभी एस. एफ. ई. आई. से संबंधित है। अब हम सीधे 2003 के अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (3) पर आएंगे, जिसका पाठ हमने इस निर्णय के पहले भाग में पुनः प्रस्तुत किया है। रिट याचिकाकर्ताओं का मुख्य मामला यह है कि शुल्क अधिसूचना उक्त प्रावधान में निहित वैधानिक जनादेश की अनदेखी करते हुए जारी की गई थी। इस उप-धारा में आयोग पर विधायिका का एक नकारात्मक अधिदेश है। शुल्क तय करते समय आयोग बिजली के किसी भी उपभोक्ता को अनुचित प्राथमिकता नहीं दे सकता है। लेकिन आयोग ने

उपभोक्ता के भार कारक, बिजली कारक, वोल्टेज, किसी भी निर्दिष्ट अवधि के दौरान बिजली की कुल खपत के अनुसार अंतर दर निर्धारित करने की शक्ति निहित है जिस पर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। जहाँ तक इन दोनों श्रेणियों के शैक्षणिक संस्थानों के लिए अलग-अलग दरें तय करने की बात है, ये कारक काम में नहीं आए। अन्य अनुमेय विभेदक कारक किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति हैं,

आपूर्ति की प्रकृति और वह उद्देश्य जिसके लिए आपूर्ति की आवश्यकता है। जहां तक विभिन्न कारकों के इस समूह का संबंध है, सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए शुल्क लाभ भौगोलिक स्थिति या आपूर्ति की प्रकृति पर आधारित प्रतीत नहीं होता है। आयोग ने हालांकि उस उद्देश्य के आधार पर शुल्क के उपरोक्त दो सेटों के वर्गीकरण को उचित ठहराया है जिसके लिए उपभोक्ताओं को आपूर्ति की आवश्यकता होती है।

8. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन पर रिट याचिकाकर्ताओं का मामला दो तख्तों पर आधारित था। सबसे पहले यह था कि पर्याप्त अवसर

स्व-वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों को आपत्ति उठाने के लिए नहीं कहा गया था। इस पर रिट याचिकाकर्ताओं के मामले का दूसरा मुद्दा

सिद्धांत यह था कि शुल्क अधिसूचना में कोई कारण नहीं था। रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, शुल्क आदेश का निर्धारण एक अर्ध-न्यायिक अभ्यास है और किसी भी निर्णय का समर्थन करने के लिए कारण का खुलासा अनिवार्य है इस तरह के अभ्यास से बाहर आना। शुल्क निर्धारण अभ्यास की प्रकृति पर, जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम के मामले हैं। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग [(2010) 4 एस. सी. सी. 603], गुजरात राज्य बनाम। उपयोगिता उपयोगकर्ता कल्याण संघ [(2018) 6 एस. सी. सी. 221] और श्री सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड v.

केरल राज्य विद्युत बोर्ड आर. ई. पी. इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. प्रिंसिपल सर सैयद संस्थान। तकनीकी अध्ययनों के लिए [अनिरुद्धबोस, जे.]

भारत और ओआरएस। [(1990) 3 एस. सी. सी. 223] अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में कारणों के प्रकटीकरण की आवश्यकता के पहलू पर, द सीमेंस इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड v. भारत संघ

(1976 2 एससीसी 981), एस. एन. मुखर्जी बनाम। भारत संघ (1990) 4 एस. सी. सी. 594 और क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. एस. मसूद अहमद

8 सितंबर, 2010 को तय किए गए खान [2008 का एसएलपी (सी) No.12766] का उल्लेख किया गया है।

वेबसाइट पर शुल्क प्रस्ताव को अपलोड करना व्यापक रूप से वैधानिक आवश्यकता के अनुपालन में होना चाहिए। हम प्रथम न्यायालय के फैसले से पाते हैं कि आयोग ने आपत्तियां आमंत्रित करते हुए नोटिस जारी किया था / सार्वजनिक उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों से सुझाव। में

केवल नोटिस में, यह उल्लेख किया गया था कि विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध था और यह अनुरोध पर उपलब्ध था। इस तरह के विवरणों में एस. एफ. ई. आई. के लिए प्रस्तावित उच्च शुल्क दर शामिल थी। हम रिट याचिकाकर्ताओं के तर्क के दूसरे हिस्से पर ज्यादा चर्चा नहीं पाते हैं। अपील के तहत निर्णय में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन पर। आयोग के एक अर्ध-न्यायिक निकाय होने के मुद्दे पर रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उद्धृत दो मामलों में से कोई भी आयोग जैसे वैधानिक निकाय द्वारा शुल्क निर्धारण आदेश में कारण का खुलासा करने की आवश्यकता के पहलू से संबंधित नहीं है। गुजरात राज्य (ऊपर) के मामले में, प्रश्न

यह न्यायालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष की योग्यता पर विचार कर रहा था। उस प्रश्न पर विचार करते समय यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राज्य आयोगों के पास न्यायालय के समान अधिकार हैं। पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, विवाद इस बिंदु पर था कि क्या 2003 के अधिनियम की धारा 178 के तहत बनाया गया विनियमन उक्त क़ानून की धारा 111 के तहत अपील योग्य था। उस विवाद की पड़ताल करते हुए, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने आयोग के अधिकार क्षेत्र के दायरे की जांच की और 2003 के अधिनियम की धारा 62 के तहत शुल्क निर्धारण को अर्ध न्यायिक कार्य पाया। इस तरह के निष्कर्ष का एक कारण यह था कि शुल्क आदेश क़ानून के तहत अपील योग्य था।

10. अब सवाल यह उठता है कि क्या आयोग को अर्ध-न्यायिक चरित्र के कपड़े पहनने पर कारणों का खुलासा करने की आवश्यकता थी

शुल्क अधिसूचना जारी करने के लिए, जिसकी वैधता इन कार्यवाहियों में विवाद का विषय है। हालांकि कारण के प्रकटीकरण की आवश्यकता यदि उपभोक्ता और आयोग के बीच कोई समझौता है तो यह इस प्रकार के मामले में उत्पन्न हो सकता है। जब तक कि निश्चित रूप से, वैधानिक प्रावधान निर्धारित नहीं करता है

अन्यथा। वर्तमान मामले में, खंड पीठ ने कहाः

" यह सच है कि वेबसाइट या नोटिस बोर्ड में प्रकाशित करके उस प्रावधान के पालन के लिए विनियमन के तहत जिस तरीके से नोटिस जारी किया जा सकता है, वह पर्याप्त हो सकता है। लेकिन हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि प्रत्यर्थियों के लिए यह कहने का कोई औचित्य नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने कोई आपत्ति नहीं की थी

और वे उस आधार पर अनुपयुक्त हो सकते हैं।

11. एक बार डिवीजन बेंच ने पाया कि वेबसाइट में प्रकाशन पर्याप्त था, रिट याचिकाकर्ताओं ने रिट कोर्ट या अपीलीय मंच में टैरिफ अधिसूचना को चुनौती देने का अपना अधिकार नहीं खोया होगा। लेकिन किसी भी तरह की आपत्ति नहीं उठाकर शुल्क प्रस्ताव पर कोई प्रतिबंध लगाने में विफल रहने के कारण, शुल्क दरों के प्रकाशन के साथ-साथ कारणों का खुलासा करने की मांग करना उनके लिए खुला नहीं होगा। एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में आयोग की भूमिका या इसकी विशेषताएँ

एक न्यायालय तभी सामने आएगा जब उसे किसी विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए बुलाया जाएगा। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, आयोग के प्रस्ताव के आधार पर रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया गया था, जिसके लिए उसे किसी प्रकार का न्यायिक अभ्यास करने की आवश्यकता होती। ऐसी स्थिति में, शुल्क तय करने की कवायद केवल एक अर्ध विधायी अधिनियम के रूप में की जानी चाहिए, जो आम तौर पर शुल्क तय करने की कवायद है। इस प्रकार बिना किसी कारण के विषय शुल्क अधिसूचना जारी करने को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अपील का मंच उनके लिए खुला था। लेकिन कानून में केवल एक अपीलीय मंच के अस्तित्व के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में शुल्क-दर निर्धारित करने के कारण का खुलासा करने के लिए एक शुल्क-निर्धारण निकाय की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसी विशिष्ट मामले के संबंध में कोई अपील की जाती है, तो आयोग को

ऐसे मामले में शुल्क दर तय करना उचित है। कारण का खुलासा करने का कर्तव्य तभी स्पष्ट होगा, जब कोई विशेष शुल्क निर्धारण प्रस्ताव अपने मसौदे के प्रकाशन के बाद बिना किसी आपत्ति के चला जाता है। अपीलीय मंच पर नहीं जाने के बाद, रिट याचिकाकर्ताओं ने रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रिट कोर्ट के समक्ष, इस तरह के शुल्क निर्धारण को चुनौती दी जा सकती थी

उसी तरह अर्ध-विधायी या प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग में निर्धारित शुल्क न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इस प्रकार, हमारी राय में, इसके विपरीत किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में, एक बार शुल्क प्रस्ताव प्रकाशित होने और राज्य आयोग के समक्ष बिना किसी विरोध के जाने के बाद, शुल्क को अंतिम रूप देने के चरण में इस तरह के निर्धारण के कारण के प्रकटीकरण का सवाल नहीं उठेगा। यदि इस तरह के शुल्क आदेशों को बाद में अपीलीय मंच या रिट कोर्ट के समक्ष चुनौती दी जाती है, तो आयोग को अपने निर्णय का उसी तरह बचाव करना होगा जैसे शुल्क तय करने पर प्रशासनिक या अर्ध विधायी निर्णय का बचाव किया जाता है।

चूंकि हमने केरल राज्य विद्युत बोर्ड आर. ई. पी. लिया है। इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. प्रिंसिपल सर सैयद संस्थान। तकनीकी अध्ययनों के लिए [अनिरुद्धबोस, जे.]

इस दृष्टिकोण से, हम अधिकारियों के साथ व्यवहार करना आवश्यक नहीं मानते हैं जो कानून की उक्ति को निर्धारित करता है कि एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण की आवश्यकता है

अपने निर्णय के समर्थन में कारणों का खुलासा करना।

12. रिट याचिकाकर्ता होने के नाते एस. एफ. ई. आई. के विद्वान वकील ने जोर देकर कहा है कि सरकार या सरकारी सहायता प्राप्त दोनों का उद्देश्य

अधिनियम की धारा 62 (3) के तहत अनुज्ञेय नहीं है। अपीलार्थियों की इस दलील का विरोध करते हुए कि स्व-वित्तपोषण संस्थान लाभ-उद्देश्य रखते हैं या यह किसी प्रकार का वाणिज्यिक उद्यम है, हमारा ध्यान इस न्यायालय के चार अधिकारियों की ओर आकर्षित किया गया है जो टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन के मामले हैं। (ऊपर), पी. ए. इनामदार और अन्य। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। [(2005) 6 एस. सी. सी. 537], इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन एंड अदर वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। [(2003) 6 एस. सी. सी. 697] और मॉडर्न स्कूल बनाम। भारत संघ [(2004) 5 एस. सी. सी. 583]। ये सभी प्राधिकरण निजी शैक्षणिक संस्थानों के शुल्क-संरचनाओं से निपटते हैं। टी. एम. ए. पाई (ऊपर) के मामले में, यह आयोजित और मनाया गया हैः

" 56. इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि हम आज एक प्रतिस्पर्धी दुनिया में रहते हैं, जहां पेशेवर शिक्षा है।

माँगें। हमें यह समझने के लिए दिया गया है कि बड़ी संख्या में पेशेवर और अन्य संस्थान निजी दलों द्वारा शुरू किए गए हैं जो कोई सरकारी सहायता नहीं लेते हैं। एक मायने में, एक भावी छात्र के पास उसके लिए विभिन्न विकल्प होते हैं, जहां, इसलिए, आम तौर पर आर्थिक ताकतों की भूमिका होती है। शुल्क लेने का निर्णय अनिवार्य रूप से उस निजी शैक्षणिक संस्थान पर छोड़ दिया जाना चाहिए जो नहीं चाहता है या निर्भर नहीं है।

सरकार से किसी भी धन पर।

57. हालाँकि, हम एक बात पर जोर देना चाहते हैं, और वह यह है कि शिक्षा के व्यवसाय को एक अर्थ में धर्मार्थ माना जाता है, सरकार ऐसे नियम प्रदान कर सकती है जो शिक्षा में उत्कृष्टता सुनिश्चित करेंगे, जबकि कैपिटेशन के शुल्क को प्रतिबंधित करेंगे।

संस्थान द्वारा शुल्क और लाभ उठाना। चूँकि एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना का उद्देश्य "धर्मार्थ" की परिभाषा है, यह स्पष्ट है कि एक शैक्षणिक संस्थान ऐसा शुल्क नहीं ले सकता है जो उस उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से आवश्यक नहीं है। इसे अलग तरह से कहें तो किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होना चाहिए, जितना कि शिक्षा अनिवार्य रूप से धर्मार्थ प्रकृति की है। हालाँकि, एक उचित राजस्व [2020] 7 एस. सी. आर. हो सकता है।

अधिशेष, जो शिक्षा के विकास और शिक्षा के विस्तार के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थान द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है।

संस्था "।

शैक्षणिक संस्थान यद्यपि उचित राजस्व अधिशेष सृजन करते हैं उनकी ओर से अनुमति है। आधुनिक विद्यालय के मामले में v. भारत संघ (2004) 5 एस. सी. सी. 583 यह आयोजित किया गया है:

" 14. शुरुआत में, 1973 के अधिनियम के प्रावधानों का विश्लेषण करने से पहले, हम यह कह सकते हैं कि अब इस न्यायालय के कई फैसलों से यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि शुल्क संरचना के निर्धारण के मामले में गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान एक बड़ी स्वायत्तता का प्रयोग करते हैं क्योंकि वे, किसी भी अन्य नागरिक की तरह, शिक्षा के विकास और संस्थान के विस्तार के लिए उचित अधिशेष के हकदार हैं। ऐसा माना गया है कि ऐसे संस्थानों को अपने निवेश और व्यय की योजना बनानी होती है ताकि इससे लाभ हो सके। लाभ होता
है। हालाँकि, शिक्षा का व्यावसायीकरण प्रतिबंधित है। हालांकि, पहले के किसी भी मामले में, इस अदालत ने उचित अधिशेष, लाभ, आय और उपज की अवधारणा को परिभाषित नहीं किया है, जो 1973 के विभिन्न प्रावधानों में उपयोग किए गए शब्द हैं।

अधिनियम "।

14. इन अधिकारियों ने जो सार निर्धारित किया है वह यह है कि स्व-वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं है

मुनाफाखोरी लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे उचित उत्पादन नहीं कर सकते हैं

राजस्व अधिशेष ताकि वे अपनी गतिविधियों को जारी रख सकें। इसके अलावा, रिट याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उनमें से कई धर्मार्थ हैं

स्टूडियो, होटल और रेस्तरां, निर्माण कार्य आदि और एल. टी.-VII शुल्क वस्तुओं का शीर्षक "वाणिज्यिक" है। जबकि हमारी सामान्य धारणा में एक शैक्षणिक संस्थान के समान कार्य नहीं कर सकता है अन्य संस्थाएं जो व्यावसायिक उद्यम करती हैं, एक शुल्क निर्धारण निकाय को ऐसी सामान्य धारणा के आधार पर आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे निकाय का कर्तव्य यह निर्धारित करना है कि एक संगठन किस दर का भुगतान करेगा, और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं को एक आम दर के अधीन एक आम छतरी के नीचे एक साथ जोड़ा जा सकता है। उस संदर्भ में, इस प्रकृति के अभ्यास के लिए, केरल राज्य विद्युत बोर्ड आरईपी को प्रतिबंधित करने के लिए "वाणिज्यिक" शीर्षक का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. प्रिंसिपल सर सैयद संस्थान। तकनीकी अध्ययनों के लिए [अनिरुद्धबोस, जे.]

15. आयोग के वकील ने यह भी तर्क दिया है कि एस. एफ. ई. आई. एस. अपने छात्रों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है। लेकिन यह दर्ज किया गया है अपील के अधीन निर्णय कि डिवीजन बेंच के समक्ष इस तरह के तथ्य की पुष्टि नहीं की गई थी। इस प्रकार, हमारे सामने ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे आयोग यह प्रदर्शित कर सके कि एस. एफ. ई. आई. अपने छात्रों को विलासिता या अर्ध विलासिता सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन तथ्यों के आलोक में क्या यह माना जा सकता है कि सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त संस्थानों और एस. एफ. ई. आई. दोनों का उद्देश्य समान था और इसलिए उस आधार पर शुल्क दर में कोई अंतर नहीं किया जा सकता था? हम यहाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर भेदभाव का परीक्षण नहीं कर रहे हैं क्योंकि खंड पीठ के समक्ष रिट याचिकाकर्ताओं ने उस आधार पर अधिसूचना को चुनौती देने के लिए दबाव नहीं डाला है।

16. अब हम जिस प्रश्न पर ध्यान देंगे वह यह है कि क्या आयोग द्वारा राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शुल्क निर्धारित करने में संस्थानों को उचित ठहराया गया था

किस आपूर्ति की आवश्यकता थी। अभिव्यक्ति "उद्देश्य" का अर्थ है, संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश, दसवें संस्करण के अनुसार, प्रकाशित। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वाराः - " 1. वह कारण जिसके लिए कुछ किया जाता है या जिसके लिए कुछ मौजूद है। 2. संकल्प या संकल्प। ”

दिए गए संदर्भ में, संज्ञा "उद्देश्य" उपरोक्त शब्दकोश में दिए गए पहले अर्थ में फिट होगी, जिसे हमने ऊपर उद्धृत किया है। रिट याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि शिक्षा प्रदान करने के लिए इन दोनों शैक्षणिक संस्थानों का उद्देश्य समान है और 2003 के अधिनियम की धारा 62 (3) को ध्यान में रखते हुए उनके बीच शुल्क दर में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

17. रिट याचिकाकर्ताओं ने इस पहलू पर दो गुना निवेदन दिया है। सबसे पहले, उन्होंने तर्क दिया है कि बिजली शुल्क निर्धारण अभ्यास में भुगतान करने की क्षमता निर्धारक कारक नहीं हो सकती है, रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले पर भरोसा करते हुए। अध्यक्ष, बिहार राज्य

विद्युत बोर्ड और अन्य। (1984 (एस. सी. सी. 161)। यह निर्णय विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 49 (3) के तहत दिया गया था। एम. पी. विद्युत बोर्ड और अन्य के मामले में। बनाम शिव नारायण और अन्य। (2005) 7 एस. सी. सी. 283, इस न्यायालय ने [2020] 7 एस. सी. आर. की व्यावसायिक गतिविधियों को पाया।

एक अधिवक्ता ने वाणिज्यिक गतिविधि का गठन नहीं किया ताकि बिजली की वाणिज्यिक दर को आकर्षित किया जा सके। लेकिन इन दोनों निर्णयों का अनुपात रिट याचिकाकर्ताओं की सहायता नहीं करता है। जहाँ तक "वाणिज्यिक" अभिव्यक्ति के अर्थ का संबंध है, हम इस निर्णय में पहले उस मुद्दे पर विचार कर चुके हैं। एस. एफ. ई. आई. को विशेष रूप से "वाणिज्यिक" शीर्षक के तहत शामिल किया गया है और यह ऐसा मामला नहीं है जहां उनके चरित्र का अनुमानित मूल्यांकन किया जा रहा है, उनकी गतिविधियों को सामान्य अर्थों में वाणिज्यिक माना जा रहा है।

18. रिट याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि वे इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं

शुल्क अधिकारियों ने संगठनों के दो समूहों को अलग कर दिया। यदि शुल्क निर्धारण निकाय, इस मामले में, आयोग होने के नाते, संबंधित श्रेणियों के उद्देश्य में अंतर कर सकता है, तो वे हकदार होंगे। विभिन्न श्रेणियों के शैक्षणिक संस्थानों के लिए शुल्क की अलग-अलग दरें लागू करना।

कि संस्थानों के इन दो समूहों से अलग-अलग शुल्क नहीं लिया जा सकता था। हालाँकि, हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। यद्यपि आयोग ने तथ्यात्मक साक्ष्य के माध्यम से यह प्रदर्शित नहीं किया है कि संस्थानों के इन दो समूहों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं अलग-अलग हैं, लेकिन यह आम जानकारी है, जिसके बारे में हम न्यायिक नोटिस लेते हैं कि राज्य द्वारा संचालित और राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों की छात्र प्रोफ़ाइल एस. एफ. ई. आई. से अलग है। तुलनात्मक रूप से मामूली पृष्ठभूमि के छात्र राज्य द्वारा संचालित या राज्य वित्त पोषित संस्थानों में जाते हैं। संस्थाएं। जबकि हम 2003 के अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (3) के तहत "उद्देश्य" अभिव्यक्ति के अर्थ का अर्थ निकालते हैं, हमारी राय है कि शुल्क प्रश्न को निपटाने के उद्देश्य से, जो केरल राज्य विद्युत बोर्ड आरईपी की सेवा कर रहा है।

इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. प्रिंसिपल सर सैयद संस्थान। तकनीकी अध्ययनों के लिए [अनिरुद्धबोस, जे.]

" "और जिनके लिए इस तरह के" उद्देश्य "की पूर्ति की जा रही है, उन्हें इसमें शामिल करना होगा। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की प्रकृति शुल्क निर्धारण अभ्यास के लिए एकमात्र निर्धारक नहीं हो सकती है। राज्य द्वारा संचालित और राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों को करदाताओं द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जो संस्थानों की उपरोक्त श्रेणियों के बीच अंतर करने में भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अभिव्यक्ति "उद्देश्य"

शिक्षा प्रदान करने की गतिविधि करने वाली संस्था के चरित्र या विशेषता के संदर्भ में इसे समझना होगा। शैक्षणिक संस्थानों को वित्त पोषण करते समय, राज्य अपने आवश्यक कल्याणकारी उपायों में से एक का निर्वहन करने का कार्य करता है। आयोग की ओर से अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा तय किए गए कुछ मामलों को संदर्भित किया गया था, लेकिन चूंकि हम मुख्य रूप से 2003 के अधिनियम की धारा 62 (3) के दायरे को तय कर रहे हैं, इसलिए हम उन मामलों को संदर्भित करना आवश्यक नहीं मानते हैं।

20. अपीलार्थी के मामले को उस परिप्रेक्ष्य में देखते हुए, हमारी राय में, उनके द्वारा उच्च शुल्क तय करने में कोई त्रुटि नहीं की गई थी

स्व-वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थान उन्हें वाणिज्यिक संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत करते हैं। शुल्क अधिसूचना में राज्य द्वारा संचालित और राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों को कोई अनुचित प्राथमिकता नहीं दी गई है। तथ्य यह है कि एस. एफ. ई. आई. को पूरी तरह से कई वाणिज्यिक सेवा प्रदाताओं के साथ जोड़ा गया है

एक बार जब हम उस उद्देश्य को पा लेते हैं तो शिक्षा से असंबंधित महत्वहीन हो जाता है

एस. एफ. ई. आई. को सरकार द्वारा संचालित और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से अलग किया जा सकता है।

21. इन कारणों से हम खंड पीठ के विचार से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। अपील के तहत निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है और

प्रथम न्यायालय के निर्णय को बहाल किया जाता है। उपरोक्त शर्तों में अपीलों की अनुमति है। सभी जुड़े हुए आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है। अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, भंग हो जाएंगे। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे